प्रेस विज्ञप्ति

24.12.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), विशाखापत्तनम उप-आंचलिक कार्यालय ने विशाखापत्तनम शहरी विकास प्राधिकरण के पूर्व अतिरिक्त मुख्य शहरी योजनाकार पसुपार्थी प्रदीप कुमार द्वारा अर्जित अनुपातहीन संपत्ति की जांच के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 1.09 करोड़ रुपये मूल्य की चल/अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है।

जब्त की गई संपत्तियां पसुपार्थी प्रदीप कुमार, उनकी पत्नी, उनके चाचा और बेनामी कोना सिम्हाद्री के नाम पर आवासीय फ्लैट, भूखंड और बैंक बैलेंस के रूप में हैं।

विजयवाड़ा स्थित भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (एसीबी) द्वारा दर्ज एफआईआर और उक्त एफआईआर में दायर आरोपपत्र के आधार पर, पशुपार्थी प्रदीप कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(ई) के साथ पठित 13(2) के तहत उनकी ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में जांच शुरू की गई। उक्त एफआईआर और आरोपपत्र के अनुसार, पशुपार्थी प्रदीप कुमार ने वर्ष 1984 में सरकारी सेवा में प्रवेश किया और संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नत होने और जनवरी 2018 में विशाखापत्तनम शहरी विकास प्राधिकरण में अतिरिक्त मुख्य शहरी योजनाकार के रूप में तैनात होने से पहले विभिन्न पदों पर कार्य किया। पसुपार्थी प्रदीप कुमार ने अपराध की अवधि (जुलाई 2005 – जनवरी 2018) के दौरान अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और अज्ञात आय स्रोतों से अपने नाम और अपने परिवार के सदस्यों/रिश्तेदारों और बेनामी लोगों के नाम पर चल/अचल संपत्ति अर्जित की। विजयवाड़ा स्थित एसीबी द्वारा गणना की गई डीए राशि, जैसा कि आरोपपत्र में उल्लिखित है, लगभग 1.85 करोड़ रुपये है।

ईडी की जांच में पता चला कि पसुपार्थी प्रदीप कुमार ने अपनी अवैध आय को अपने नाम या परिवार के सदस्यों के नाम पर बने विभिन्न खातों में जमा करके छिपाने का प्रयास किया। अनुसूचित अपराध से अर्जित धन को नकद में जमा किया गया और बाद में इसका उपयोग विभिन्न चल और अचल संपत्तियों के अधिग्रहण और कब्जे के लिए किया गया और इसे बेदाग धन के रूप में दिखाया गया। पीएमएलए की जांच में पता चला कि इस मामले में अपराध से प्राप्त कुल आय लगभग 2.94 करोड़ रुपये है, जो संबंधित एजेंसी द्वारा गणना की गई डीए राशि से अधिक है। तदनुसार, पीएमएलए जांच के दौरान 1.09 करोड़ रुपये की संपत्ति, यानी अंतर राशि, जब्त कर ली गई है।

आगे की जांच जारी है।